



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237155
CG-DL-E-07072022-237155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2953]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944

No. 2953]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3103(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के धुबरी जिले में NH 31 के कि.मी. 853.00 से कि.मी.864.00 (डुमरदह खंड-४ से गेरामारी खंड- ३ सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (पेव्ड शोल्डर आदि के साथ टू लेन का नया निर्माण/उन्नयन), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त उपायुक्त (ए डी सी) धुबरी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के धुबरी जिले में NH-31 के कि.मी. 853.00 से कि.मी.864.00 (डुमरदह खंड-४ से गोरामारी खंड -३ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: धुबरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: धुबरी					
गांव का नाम: आशारीकान्दी					
1	1	निजी	सलीताली	0.0160500(हेक्टेयर)	0.0160500
2	10	निजी	ब्यापार स्थल	0.0093000(हेक्टेयर)	0.0093000
3	1036	निजी	सलीताली	0.0147000(हेक्टेयर)	0.0147000
4	11	निजी	सलीताली	0.0147000(हेक्टेयर)	0.0147000
5	1214	निजी	ब्यापार स्थल	0.0280900(हेक्टेयर)	0.0280900
6	1219	निजी	सलीताली	0.0147000(हेक्टेयर)	0.0147000
7	1244	निजी	सलीताली	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
8	3	निजी	सलीताली	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
9	4	निजी	सलीताली	0.0387000(हेक्टेयर)	0.0387000
10	5	निजी	ब्यापार स्थल	0.0414000(हेक्टेयर)	0.0414000
11	6	निजी	ब्यापार स्थल	0.0347000(हेक्टेयर)	0.0347000
12	7	निजी	सलीताली	0.0414000(हेक्टेयर)	0.0414000
13	8	निजी	सलीताली	0.0361000(हेक्टेयर)	0.0361000
14	9	निजी	सलीताली	0.0856000(हेक्टेयर)	0.0856000
गांव का नाम: फुलकुमारी					
1	152	निजी	बारी	0.0294000(हेक्टेयर)	0.0294000
गांव का नाम: साजुवारकुटी					
1	388	निजी	सलीताली	0.0749000(हेक्टेयर)	0.0749000
कुल				0.5063	0.5063

[फा. सं. NH-12012/02/2020/AS/Zone-V/3A]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

S. O. 3103(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (New Construction/ upgradation two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH-31 in the stretch of land from Km. 853.00 to Km. 864.00 (Dumardaha pt - IV to Geramari pt -III section) in the district of DHUBRI in the state of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner, Dhubri in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 853.00 to Km. 864.00 (Dumardaha pt- IV to Geramari pt -III section) of the NH -31 in the district of Dhubri in the state of ASSAM.

State: ASSAM		District: DHUBRI			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dhubri					
Village: Asharikandi					
1	1	Private	SALITALI	0.0160500(Hectare)	0.0160500
2	10	Private	TRADE SITE	0.0093000(Hectare)	0.0093000
3	1036	Private	SALITALI	0.0147000(Hectare)	0.0147000
4	11	Private	SALITALI	0.0147000(Hectare)	0.0147000
5	1214	Private	TRADE SITE	0.0280900(Hectare)	0.0280900
6	1219	Private	SALITALI	0.0147000(Hectare)	0.0147000
7	1244	Private	SALITALI	0.0133000(Hectare)	0.0133000
8	3	Private	SALITALI	0.0133000(Hectare)	0.0133000
9	4	Private	SALITALI	0.0387000(Hectare)	0.0387000
10	5	Private	TRADE SITE	0.0414000(Hectare)	0.0414000
11	6	Private	TRADE SITE	0.0347000(Hectare)	0.0347000
12	7	Private	SALITALI	0.0414000(Hectare)	0.0414000
13	8	Private	SALITALI	0.0361000(Hectare)	0.0361000
14	9	Private	SALITALI	0.0856000(Hectare)	0.0856000
Village: Fulkamari					
1	152	Private	BARI	0.0294000(Hectare)	0.0294000

Village: Sajuarkuti					
1	388	Private	SALITALI	0.0749000(Hectare)	0.0749000
Total				0.5063	0.5063

[F. No. NH-12012/02/2020/AS/Zone-V/3A]

RAJESH GUPTA, Director